

24.09.21.

वकील उभय पक्ष उपर। वकील अपीलान्तर का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में सम्बन्धित दावा निर्णीत हो गया है। पत्रावली नोट प्रैस की जाती है। वकील अपील के कथन पर गौर किया, पत्रावली से सम्बन्धित दावा अधिनस्थ न्यायालय में निर्णीत होने के पश्चात् 212 90 पत्र की अपील प्रभाव हीन हो जाती है। अतः पत्रावली प्रभाव हीन में रिवारिज की जाती है। फ़ैसल शुभार होकर नवंबर से कम की जावे, बाद जाफ़ा कारख़िल दफ़तर है।

Not Pan 103
की जाती है
24/9

शुभचन्द्र अधिकारी
पदेन
राजस्थान अपील प्राधिकारी
(भारतपुर, राज.)